न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 223/2015

1 बद्री पुत्र चन्द्रा जाति कुम्हार निवासी गावडी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मदनलाल पुत्र सुरजाराम।
2 मुरारीलाल पुत्र सुरजाराम।
3 सुलतान पुत्र सुरजाराम।
4 दयाराम पुत्र सुरजाराम।
5 ग्यारसीलाल पुत्र सुरजाराम।
6 मेवा देवी पत्नी हरलाल।
7 पितराम पुत्र हरलाल।
8 सुनिल पुत्र हरलाल।
9 शान्ति पुत्री सुरजाराम।
10 मुगी देवी पुत्री सुरजाराम।
11 विक्रम पुत्र हरलाल समस्त जाति कुम्हार निवासीगण गॉवड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।,
12 भूमिधारी जरिये तहसीलदार तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 10.07.2015 एवं निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.07.2015 उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर बसिलसिले दावा उनवानी मदन बनाम बद्री आदि दावा संख्या 131/2015 को निरस्त किये जाने बाबत अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :

1. श्री किशोर कुमार सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
2. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 19.04.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 131/2015 में पारित निर्णय दिनांक 10.07.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 ने नीमकाथाना की भूमि खसरा नम्बर 421,423 वाके ग्राम गांवड़ी बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। इससे व्यथित होकर धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में सम्पूर्ण प्रतिवादीयों की सम्यक तामील नही हुई है। अपीलांट के विरूद्व जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने के उपरान्त भी एक पक्षीय कार्यवाही कर विधि विरूद्व रूप से प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। मौके पर पक्षकारान बाहमी विभाजन कर पृथक–पृथक भूमि पर पहले से काबिज काश्त है। अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी होने पर जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील होने के उपरान्त अपीलांट की जरिये वकील दिनांक 10.07.2015 को उपस्थिति हुई है। आदेशिका पर वकील अपीलांट के हस्ताक्षर है। इसी दिनांक को प्राथमिक डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय द्वारा बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। विचारण न्यायालय एवं अपील न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा बाहमी विभाजन का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील होने के उपरान्त अपीलांट की जरिये वकील दिनांक 10.07.2015 को उपस्थिति हुई है। आदेशिका पर वकील अपीलांट के हस्ताक्षर है। इसी दिनांक को प्राथमिक डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय द्वारा बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। विचारण न्यायालय एवं अपील न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा बाहमी विभाजन का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन सजरव अपील अधिकारी
सीकर

विधिक त्रुटि नही की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

प्रकरण में न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर